

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में पोखरी रा०इ०का० चौंडी - विरसण सेरा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 हे० सिविल/आरक्षित वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु ०.२७ हे० कुल भूमि १.७५ हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
नि० खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी

प्रमोद जैस्वल
वनाधिकारी
केंद्रीय वन्य जीव प्रमाण
प्रशिक्षक (चार्जर)

सहायक अभियन्ता
नि० खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी

६ प्र० व० अ०
जीवर (गोपेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता
नि० खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी

प्रभासीय/वनाधिकारी
केंद्रीय वन्य जीव प्रमाण
प्रशिक्षक (चार्जर)